Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 11/2018

1. बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी आजादपुरा तहसील बडौदा जिला श्योपुर म0प्र
2. कंचन बाई पत्नि जमनालाल जाति मीणा निवासी भटवाडा तह0 मांगरोल जिला बारां

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद वास्ते नक्शा तरमीम किये जाने बाबत्

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांकः 25.06.2018 निर्णय दिनांक : 25.06.2018

प्रकरण में में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी कम 1 की आराजी ग्राम बोहत में खाता संख्या 439 खसरा नं0 1378/3227 रकबा 1.57 है0, खसरा नं0 1379 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 1380 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 1381 रकबा 1.22 है0, खसरा नं0 1382 रकबा 0.25 है0 कुल किता 5 रकबा 3.45 है0 स्थित है वादी कम 2 की आराजी ग्राम बोहत में खाता संख्या 23 खसरा नं0 1377 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1378 रकबा 2.08 है0, खसरा नं0 1380/3226 रकबा 0.70 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.88 है0 स्थित है। उक्त वर्णित आराजी के साबिक खसरा नं0 793 थे जिसका रकबा करीबन 39 बीघा था उसके उत्तरी हिस्से में वादी कम 1 बाबूलाल व दक्षिणी हिस्से में वादी कम 2 कंचन बाई काबिज काश्त है। सेटलमेंट कार्मिको ने सहवन से बन्दोबस्त करते वक्त वादी कम 1 के नये नम्बर को उत्तर से दक्षिण उद्‌र्वाधर व वादी कम 2 के हाल खसरा नं0 को भी उत्तर दक्षिण कायम कर दिया है जबकि साबिक नक्शा ट्रेस सन 1988 के अनुसार वादी कम 1 उत्तरी हिस्से में व वादनी कम 2 दक्षिणी हिस्से में काबिज काश्त थी साबिक खसरा नं0 793 का हाल नक्शा काटा जाना चाहिए था अतः वादीगण कम 1 व 2 का हाल राजस्व नक्शा साबिक नक्शा खसरा नं0 793 के अनुसार उत्तरी हिस्से में वादी कम 1 व दक्षिणी हिस्से में वादनी कम 2 के पक्ष में तरमीम किया जावें।

...राय का वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 ...न्तर्गत दिनांक 25.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो ...ज्य सरकार का पैरोकार है एवं प्रतिवादी है से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2018/22 दिनांक 25.06.2018 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम बोहत मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 439 पर बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी आजादपुरा तह0 श्योपुर म0प्र0 के नाम ग्राम बोहत में खाता संख्या 439 खसरा नं0 1378/3227 रकबा 1.57 है0, खसरा नं0 1379 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 1380 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 1381 रकबा 1.22 है0, खसरा नं0 1382 रकबा 0.25 है0 कुल किता 5 रकबा 3.45 है0 भूमि खाते दर्ज है। तथा रहन एसबीबीजे मांगरोल दर्ज है। खाता संख्या 23 पर कंचन बाई पत्नि जमनालाल जाति मीणा निवासी भटवाडा के नाम से खसरा नं0 1377 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1378 रकबा 2.08 है0, खसरा नं0 1380/3226 रकबा 0.70 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.88 है0 भूमि खाते में दर्ज है तथा रहन एचकेजीबी शाखा मांगरोल के नाम दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं0 1378/3227, 1379, 1380, 1381 साबिक खसरा नं0 793 से व हाल खसरा नं0 1382 रकबा 0.25 है0 सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नं0 794 से 1 बीघा 15 बिस्वा से बनाया गया है तथा हाल खसरा नं0 1377, 1378, 1380/3226 साबिक खसरा नं0 793 से बनाये गये है। सेटलमेंट से पूर्व के खसरा नं0 793 में उत्तरी ओर बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल ब्राहमण खसरा नं0 793 के दक्षिणी ओर कंचन बाई पत्नि जमनालाल मीणा काबिज थे अतः सेटलमेंट पूर्व नक्शे एवं वर्तमान मौका स्थिति अनुसार निम्न प्रकार भूमि खाते दर्ज करके दुरूस्ती की जा सकती है।

01. बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण नि0 आजादपुरा तह0 श्योपुर म0प्र0 (रहन एसबीबीजे मांगरोल) के खाते में निम्न प्रकार भूमि रहेगीः–

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
1387 उत्तरी	0.60 है0	बरानी द्वितीय	4.20
1382	0.25 है0	बरानी द्वितीय	1.75
1380	0.33 है0	बरानी द्वितीय	2.31
1379	0.08 है0	बरानी द्वितीय	0.56
1378/3227 उत्तरी	0.88 है0	बरानी द्वितीय	6.16
1378 उत्तरी	0.61 है0	बरानी द्वितीय	4.27
1380/3226	0.70 है0	बरानी द्वितीय	4.90
किता 7	3.45 है0		24.15

2 कंचन बाई पत्नि जमनालाल जाति मीणा सा0 भटवाडा रहन एचकेजीबी शाखा मांगरोल के खाते में निम्न प्रकार भूमि रहेगी।

खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
1377	0.10	बरानी द्वितीय	0.70
1378 दक्षिणी	1.47	बरानी द्वितीय	10.29
1378/3227	0.69	बरानी द्वितीय	4.83
1381 दक्षिणी	0.62	बरानी द्वितीय	4.34
किता 4	2.88 है0		20.46

तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी गण के खाते पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को नक्शे में परिवर्तन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प बोहत मजमेंआम में सुनाया गया।